कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0
उत्तराखण्ड देहरादून

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail- eicpwduk@nic.in

पत्रॉंक : 501 /10 अधि0प्राप्ति

दिनाँक : 21/5/2015

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता (सिविल / रा0मा0 / ए0डी0बी0 / वर्ल्ड बैंक / आपदा)
लोक निर्माण विभाग
हल्द्वानी / अल्मोड़ा / पौड़ी / देहरादून / टिहरी / पिथौरागढ़
उत्तराखण्ड

विषय : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु दिनॉक 01/05/2015 से लागू पुनरीक्षित केन्द्रीय SOR के संबंध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स को पुनरीक्षित किए जाने हेतु उत्तराखण्ड के समस्त तकनीकी विभागों को इस कार्यालय के पत्रॉंक 1727/10 अधि0प्राप्ति0/14/दिनॉंक 31/12/2014 द्वारा संसाधनों की दरें उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। परन्तु लो0नि0वि0 के समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालयों के अतिरिक्त किसी भी अन्य विभाग द्वारा दरें उपलब्ध नही कराई गईं। अतः दरों के निर्धारण हेतु दिनांक 10/03/2015 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित थे :–

1. श्री जी0 एस0 बंसल, मुख्य अभियन्ता स्तर–1,(मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
2. श्री के0 के0 जैन, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. श्री के0 के0 श्रीवास्तव, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
4. श्री हरि ओम शर्मा, मुख्य अभियन्ता, रा0 मा0, लो0नि0वि0, देहरादून।
5. श्री बी0 सी0 बिनवाल, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।
6. श्री आर0 सी0 पुरोहित, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पौड़ी।
7. श्री के0 पी0 उप्रेती, अधीक्षण अभियन्ता, 9वाँ वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
8. श्री वी0 के0 खेवरिया, अधीक्षण अभियन्ता, 11वाँ (वि0/याँ) वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
9. श्री आर0 सी0 अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, 10वाँ रा0 मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
10. श्री बी0 एन0 चौधरी, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून।
11. श्री एस0 के0 गर्ग, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।
12. श्रीमती रचना थपलियाल, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0, देहरादून।
13. श्री विनोद नौटियाल सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।
14. श्री संदीप वर्मा, अपर सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।

उपरोक्त बैठक में SOR से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई एवं समस्त संसाधनों की दरों का निर्धारण किया गया जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु केन्द्रीय SOR को पुनरीक्षित कर दिया गया है जिसे दिनॉक 01/05/2015 से लागू समझा जाएगा। इस पुनरीक्षित SOR में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :

1. अब तक SOR के Application हेतु IP Address, "http://202.71.140.162:8086" के माध्यम से Consultant के पूना स्थित Server का प्रयोग किया जा रहा था। परन्तु अब विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 में विभाग द्वारा स्वयं का Server स्थापित कर दिया गया है। अतः उपरोक्त IP Address के स्थान पर अब निम्न IP Address के माध्यम से SOR के Application का प्रयोग किया जाना होगा तथा दिनॉक 01/05/2015 से लागू SOR भी इसी IP Address पर उपलब्ध होगी।

http://210.18.30.243
Login Id : PWDSOR
Password : SOR1234

2. वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु श्रमिक संसाधनों की मूल दरें निम्न प्रकार निर्धारित की गई हैं :

Type of Labour	Unit	Rates for FY-2015-16 (In Rupees)
Unskilled	Per day	250.00
Semi Skilled	Per day	275.00
Skilled	Per day	360.00
Highly Skilled - A	Per day	440.00
Highly Skilled - B	Per day	455.00
Highly Skilled - C	Per day	465.00

3. वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु Labour Index की गणना Distance एवं Height Index दोनों को 100 प्रतिशत Weightage देते हुए की गई है जबकि पूर्व में Distance Index को 70 प्रतिशत तथा Height Index को 30 प्रतिशत Weightage देते हुए इसकी गणना की गई थी।

4. वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु Cranes की दरों के अतिरिक्त अन्य समस्त मशीन संसाधनों की दरें वित्तीय वर्ष 2014–15 के समान ही रखी गई हैं। मशीन संसाधन, Crane with grab 0.75 cum capacity (PMC091) की मूल दर रु0 935.00 प्रति घन्टे से रु0 1100.00 प्रति घन्टा कर दी गई है तथा अन्य प्रकार के Cranes की दरें भी इसी अनुपात में बढ़ा दी गई हैं।

5. वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु सामग्री संसाधनों की दरें भी वर्तमान बाज़ार दरों के आधार पर पुनरीक्षित कर दी गई हैं ।

6. वित्तीय वर्ष 2015–2016 हेतु SOR में वर्तमान Price of lead के आधार पर cartage की दरें पुनरीक्षित कर दी गई हैं।

7. वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्रीय SOR में निम्नलिखित विकासखण्डों को उनकी भौगोलिक विषमताओं को देखते हुए दो भागों में विभाजित कर दिया गया है :

(i) चम्पावत जिले के विकासखण्ड चम्पावत (Rate Card No. 74) को दो भागों, Rate Card No. 74-A, Champawat-A (न्याय पँचायत बमनजौल एवं मोहनपुर) जो मैदानी भाग में आते हैं तथा Rate Card No. 74-B, Champawat-B (न्याय पँचायत सिमियाउरी, दूवड़जैनल, सिमल्टा, खर्ककार्की, सिप्टी एवं स्वाला) जो पहाड़ी भाग में आते हैं, में विभाजित किया गया है।

(ii) इसी प्रकार देहरादून जिले के विकासखण्ड सहसपुर को दो भागों Rate Card No. 31-A, Sahaspur-A (न्याय पँचायत आमवाला, भाउवाला, सहसपुर, झाझरा एवं आरकेडिया ग्रान्ट), तथा Rate Card No. 31-B, Sahaspur-B (न्याय पँचायत भगवन्तपुर, सरोना, एवं नगरपालिका क्षेत्र मसूरी) में विभाजित किया गया है।

टिहरी जिले के विकासखण्ड जाखनीधार को दो भागों, Part A (न्याय पँचायत गड़कोट, डपोली, कुमारधार, एवं नन्दगाँव), तथा Part B (न्याय पँचायत सिलोली, जलवलगाँव एवं ढुँगबडाली) में विभाजित किए जाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता अष्टम् वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी द्वारा ई–मेल के माध्यम से Data प्रेषित किया गया था। परन्तु प्रेषित किया गया Data त्रुटिपूर्ण होने के कारण इस विकासखण्ड के विभाजन की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

8. Patch Reparing हेतु Roads & Bridges for Uttarakhand के SOR में पूर्व से ही मद संख्या 15-3-1, 15-3-2, 15-3-3 एवं 15-3-4 उपलब्ध हैं। अतः Chapter Number 16 से Patch Repairing की मद संख्या 16-18 को हटा दिया गया है।

9. 10 sqm क्षेत्रफल तक के Patches हेतु 10 sqm से अधिक क्षेत्रफल के Patches की तुलना में 25% अतिरिक्त दरें लेते हुए दर विश्लेषण Roads and Bridges SOR में सम्मिलित कर दिया गया है।

10. Steel Reinforcement की मदों में विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त Primary Steel Producers के नाम हटाते हुए केवल संबंधित Clause का उल्लेख किया गया है।

11. पुर्व में Roads and Bridges के SOR में Bituminous Macadam तथा Semi Dense Bituminous Carpet हेतु Paver Without Sensor तथा Paver With Sensor का प्रयोग करते हुए दो प्रकार के मदों का प्राविधान था। इसके अतिरिक्त Bitumen की विभिन्न मात्राओं हेतु भी BM तथा SDBC की मदों का प्राविधान था।
वित्तीय वर्ष 2015–2016 हेतु पुनरीक्षित Roads and Bridges के SOR में उपरोक्त दरों को हटाते हुए MORD के आधार पर BM का तथा MORTH के आधार पर SDBC का दर विश्लेषण किया गया है।

12. Ministry of Rural Development के Amendment Number 1/2009-10 के अनुपालन में MORD तथा Roads and Bridges के SOR में मद संख्या 4-1-A-1, 4-1-A-2 एवं 4-1-A-3 तथा 4-2-1, 4-2-2, एवं 4-2-3 के दर विश्लेषण में Motor Grader के स्थान पर Tractor Mount Grader का प्राविधान कर दिया गया है।

13. भवन निर्माण कार्यों हेतु उत्तराखण्ड के विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न Schedule of Rates का प्रयोग किया जा रहा है। जहाँ एक ओर उत्तराखण्ड के विभागों द्वारा लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा जारी SOR Building Works Based on CPWD का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बाह्य एजेन्सीज़ द्वारा उत्तराखण्ड राज्य हेतु CPWD के DSR का प्रयोग किया जा रहा है। अतः शासन स्तर पर, आयोजित बैठक में समस्त निर्माण एजेन्सीज़ के समक्ष यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड राज्य में समस्त भवन निर्माण कार्यों में एकरुपता लाने के लिए सभी विभागों द्वारा SOR Building Works Based on CPWD के स्थान पर CPWD के DSR का ही प्रयोग किया जाएगा। अतः वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड के SOR Building Works Based on CPWD को पुनरीक्षित नहीं किया गया है।

प्रमुख अभियन्ता
लो0नि0वि0, देहरादून

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य अभियन्ता, स्तर – 1,(मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, /अल्मोड़ा/देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, देहरादून।
8. मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, देहरादून।
9. प्रबंध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून।
10. प्रबंध निदेशक, USIDC, देहरादून।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल एवं वि0या0 लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. अधिशासी अभियन्ता टी0ए0सी0 वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर I, II/समस्त अधिशासी अभियन्ता कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–I, लो0नि0वि0 देहरादून।
14. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), कार्यालय विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता
लो0नि0वि0, देहरादून